

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी

पत्रांक 1129
सेवा में,

/ N.O.C

दिनांक :- 22-9-20

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड,
रोहतास के0ट्राइडेण्ट, द्वितीय तल,
10- राना प्रताप मार्ग, लखनऊ।

विषय:- भानपुर-पलिया-निघासन मार्ग के कि0मी0- 38 के अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपके पत्र का दिनांक 21.08.2020

महोदय,

अवगत कराना है कि खण्ड द्वारा पत्र संख्या-575/ एन0ओ0सी0, दिनांक 23.05.2018 द्वारा भानपुर-पलिया-निघासन, जो कि सिसैया-धौरहरा-निघासन-पलिया-धनौराघाट-पूरनपुर (राज्य मार्ग संख्या-101) है। इस मार्ग पर आपको पूर्व में कि0मी0- 82.00 से 120.00 कुल 38 कि0मी0 की अनुमति ओ0एफ0सी0 केबिल डालने हेतु एन0ओ0सी0 खण्ड द्वारा जारी की जा चुकी है।

अधिशासी-अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी

पत्रांक: 575

/ N.O.C

दिनांक: 23-5-18

सेवा में,

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0
फार्मली इन्फोटेल् ब्राडबैंड सर्विसेज लि0
10-राना प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

विषय :- भानपुरी-पलिया-निघासन मार्ग किमी0-38 ओ0एफ0सी0 केबिल डालने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक RJIL/OFC/NLD/EAST/UP/BG/211 दिनांक 25.04.2018

महोदय,

विषयांकित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा इस कार्यालय के पत्रसंख्या-307/सी0-1 दिनांक 17.03.2018 के अनुपालन में विषयक मार्ग पर ओ0एफ0सी0 केबिल डालने हेतु अनुमति के लिए आवश्यक वांछित धनराशि की बैंक गारन्टी इस खण्ड में जमा करायी गयी है। बैंक गारन्टी संख्या 0541BGR0029519 of ICICI Bank Ltd. dated 17-04-2018 for Rs. 419520.00 एवं डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या 518997 रू0 38000.00 of HDFC Bank Ltd. dated 09-05-2018 अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, खीरी के पक्ष में बनायी गयी है।

आपके द्वारा ओ0एफ0सी0 केबिल डालने हेतु अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

1. आर्टिकल फाइबर केबिल डालने का कार्य मार्ग की लेपित सतह के किनारे अधिकतम दूरी फुटपाथ/कच्चे मार्ग पर की जाये।
2. आर्टिकल फाइबर केबिल डालने हेतु कच्चे भाग में खोदे गये भाग का रेस्टोरेशन कम्पनी(मे0 रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0) द्वारा कटिंग पूर्ण होने के पश्चात अधिकतम 72 घण्टों में विभाग की विशिष्टियों के अनुसार किया जायेगा। निर्धारित अवधि के अनुपालन न होने की स्थिति में रेस्टोरेशन कार्य विभाग द्वारा करा लिया जायेगा एवं व्यय की गयी धनराशि की वसूली जमा बैंक गारन्टी से कर ली जायेगी।
3. आर्टिकल फाइबर केबिल बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढों को बेरिकेटिंग/टीन लगाकर सुरक्षित किया जायेगा ताकि व्यक्ति/बच्चा/जानवर आदि गिर न जाय। सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्ण उत्तरदायित्व कम्पनी का होगा।
4. मार्ग पर केबिल डालते समय आवश्यक मार्गदर्शक तथा अन्य सुरक्षा सम्बन्धी प्रबन्ध रिलायन्स जियो द्वारा कराये जायें एवं कार्य करते समय यातायात को कोई असुविधा न हो।

5. केबिल की स्थापना मरम्मत सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन के समय या पश्चात जनसुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व कम्पनी का होगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना/क्षति और उसके परिणामों के लिए कम्पनी जिम्मेदार होगी। कम्पनी द्वारा समस्त सुरक्षा उपायों का प्रयोग किया जायेगा।
6. प्रदान की गयी अनुमति विषयांकित भाग के लिए ही मान्य होगी
7. मार्ग के रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण हो जाने के 6 माह पश्चात बैंक गारन्टी वापस की जायेगी।
8. फर्म द्वारा केबिल न्यूनतम 1.50मी० की गहराई पर डाली जाये।
9. अनुमति पत्र रोड काटने के समय कटिंग एजेन्सी अपने साथ रखेगी ताकि आवश्यकता के समय माँगे जाने पर प्रस्तुत किया जा सकें।
10. जब कभी विभाग का मार्ग चौड़ीकरण एवं अन्य कारणों से उक्त स्थल की आवश्यकता होगी तो केबिल/ पाइप लाइन आदि डालने वाले विभाग/ कम्पनी फर्म को उक्त केबिल/पाइप लाइन आदि अपने खर्च पर हटाकर पूर्व स्थिति में विभाग को उक्त स्थल उपलब्ध कराना होगा।
11. प्रश्नगत रोड कटिंग से सम्बन्धित यदि किसी अन्य विभाग की अनुमति की आवश्यकता हो तो यह आवेदक को स्वयं अपने स्तर पर लेनी होगी, जिसका विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
12. रोड कटिंग का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व केबिल/पाइप लाइन डालने वाले अन्य विभागों से आपसी समन्वय स्थापित करने के पश्चात ही रोड कटिंग का कार्य प्रारम्भ किया जाय जिससे कि मार्ग पर पूर्व से पड़ी केबिल/पाइप लाइनों के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना न हों।
13. रोड कटिंग का कार्य अनुमति जारी रखने की तारीख से एक माह के अन्दर ही कराना होगा। उसके बाद यह अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3 लो०नि०वि०
लखीमपुर-खीरी

पत्रांक:

प्रतिलिपि :-

1. सहायक अभियन्ता प्रथम/द्वितीय निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०, खीरी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री गनोज कुमार लोधी कौशियर निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०, खीरी को बैंक गारन्टी (मूल में) सुरक्षित रखे जाने हेतु।

दिनांक:

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3 लो०नि०वि०
लखीमपुर-खीरी

- 660 -
गनोज कुमार लोधी प्रबन्धक
रिलायन्स जियो इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड
लखनऊ

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी

पत्रांक:-
सेवा में,

556 / Optical Fiber Cable / NOC

दिनांक :- 24/08/2020

✓ मैनेजर रिलायंस जियो
इन्फोकाम लिमिटेड,
रोहतास 'के' ट्राइडेंट, द्वितीय तल
रानाप्रताप, लखनऊ-226001

विषय:-

Permission to lay optical fiber cable along with NH-730, from Km 135.70 to Km 73.20 & from Km 135.00 to Km 226.00

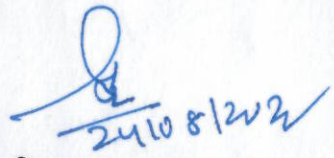
सन्दर्भ:-

Your letter no RJIL/OFC/NLD/EAST/UP/Lakhimpur-Kheri/NH-PWD/01 dated 19-08-2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में आप द्वारा चाही गई सूचना जो इस कार्यालय के पत्रांक:- 533/एन0एच-730/ओ0एफ0सी0 दिनांक 06.11.2015 एवं पत्रांक:- 115/ओ0एफ0सी0/एन0ओ0सी0/20015-16 दिनांक 15.03.2016 द्वारा आपको पूर्व में प्रेषित की गई थी, उक्त पत्रों की छायाप्रति एवं पत्रांक:- 115/ओ0एफ0सी0/एन0ओ0सी0/2015-16 दिनांक 15.03.2016 के संलग्नक (एनेक्ज़र) की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


24/08/2020
अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER

N.H. DIVISION, PWD,

LAKHIMPUR-KHERI

Letter no.... **533 / N.H.730 / OFC**
To,

Date:-... **6/11/15**

M/S Reliance Jio Infocomm Ltd.

Rohtas "K" Trident, 2nd Floor, 10-Rana

Pratap Marg, Lucknow.

Sub:- Permission to lay optical fibre cable along road site of NH-730 from Ch-Ch-135.70 to Km 73.20.

Ref:- RJIL/OFC/INTERCITY/EAST/UP/LAKHIMPUR TO KHUTAR/PWD/40 DATE-08.09.2015

This is to inform you with reference to above mentioned letter that stretch of NH-730 from chainage 88.00 to 228.40 falls under the jurisdiction of this division. You have sought the permission to lay OFC along the above NH-730 from chainage 73.20 to 135.70.

We are therefore allowing you to lay OFC along the road from chainage 88.00 to 135.70 with following conditions. For remaining length from chainage 73.20 to 88.00 you may approach NH-Division, PWD Bareilly.

- (i) Only Horizontal Directional Drilling (HDD) Technique will be used to lay OFC.
- (ii) To lay OFC by HDD method, pit should be dug at interval of not less than 200 m in straight reaches and size should be restricted to 2.00 m X 2.00 m X 1.50 m. Any deviation in the sizes must be intimated to this office in advance. All precautions like barricading and installation of cautionary board etc. should be placed around pits to avoid any accident. After laying of OFC, pits should be properly restored and well compacted.
- (iii) OFC must be laid along the outermost boundary of road i.e. along the outermost edge of Right of way (ROW). In no case it should be less than 12 m from the centre of road as shown in the line diagram submitted by you.
- (iv) Permission, if any, required from other governmental Agency like Nagar Panchayat/Nagar Palika Parishad or forest department, will be obtained prior to commencement of work.
- (v) In case of future widening of road, If laid OFC is required to be shifted, the company will be deemed bound to do so without any cost to the department.
- (vi) While laying OFC by HDD method, or excavating the pits, it should be ensured that no damage is done to other services like water supply, underground cables etc. If any such damage is met with, it should be repaired/replaced to the satisfaction of concerned department/owner.

Received
[Signature]
6/11/15

9c
(Irfan Ahmad)
Executive Engineer
N.H.Division, PWD,
Lakhimpur-Kheri

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक 530

1 N.O.C

दिनांक 24.06.21

सेवा में,

जिओ डिजीटल फाईबर प्रा0लि0
द्वितीय तल फ्लोर, सोलिटायर बिल्डिंग
फन रिपब्लिक माल के सामने गोमती नगर
लखनऊ। पिन नं0-226010

विषय:- लोक निर्माण विभाग के मार्ग के किनारे आर्टिकल फाइबर केबिल डालने हेतु अनापत्ति प्रदान करने व रोड साइड कटिंग के चार्ज अग्रिम जमा करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- जिओ डिजीटल फाईबर प्रा0लि0 का पत्र JDFPL/OFC/NLD/EAST/UP/Kharahana-Dhakekanak/01 दिनांक 21.06.2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा (1) बौधिया कला-उधवनगर-खैरीगढ़-सिंगाही भिदौरा मार्ग (ग्रामीण मार्ग) के चैनज 0.000 से 21.500 तक (लम्बाई 21.500 किमी0) (2) बिलरौया-पनवारी मार्ग (राज्य मार्ग स0-21) के चैनज 1.500 से 8.600 तक (लम्बाई 7.100 किमी0) (3) बिलरौया-भिदौरी-गुलरिया पत्थर शाह-बनवीरपुर-तिकुनिया-बरसोला कलौ-खैरटिहा-गिरजापुरी बैराज (ग्रामीण मार्ग) के चैनज 0.000 से 33.000 तक (लम्बाई 33.000 किमी0) - कुल लम्बाई 61.600। इस प्रकार मार्ग के किनारे कुल 61.600 किमी0 लम्बाई में एच0डी0डी0 विधि द्वारा आर्टिकल फाइबर केबिल डालने हेतु अनापत्ति चाही गयी है।

इस सम्बन्ध में प्रशासनिक व्यय एवं रोड साइड कटिंग सम्बन्धित प्रोफार्मा बिल निम्न विवरण के अनुसार आपको प्रेषित किया जा रहा है। कृपया बिल में दर्शायी गयी धनराशि रू0 11,44,480.00 (ग्यारह लाख चौवालीस हजार चार सौ अस्सी रुपये मात्र) रोड साइड कटिंग हेतु बैंक गारन्टी एवं रू0 61,600.00 (इकसठ हजार छः सौ रुपये मात्र) प्रशासनिक व्यय हेतु डिमान्ड ड्राफ्ट अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, लखीमपुर-खीरी के नाम से इस कार्यालय को जमा कराने का कष्ट करें, ताकि रोड कटिंग की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही की जा सके। यह ध्यान रखें कि सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने से पूर्व खुदाई का कार्य कदापि न कराया जाये।

प्रोफार्मा बिल

क्रम सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	दर रू0	लागत (रू0 में)
1	बौधिया कला-उधवनगर-खैरीगढ़-सिंगाही भिदौरा मार्ग (ग्रामीण मार्ग) के चैनज 0.000 से 21.500 तक (लम्बाई 21.500 किमी0)			
	मिट्टी का कार्य- पिट्स = (21.500 x 5 + 1) = 109 नं0			
2	बिलरौया-पनवारी मार्ग (राज्य मार्ग स0-21) के चैनज 1.500 से 8.600 तक (लम्बाई 7.100 किमी0)			
	मिट्टी का कार्य- पिट्स = (7.100 x 5 + 1) = 37 नं0			
3	बिलरौया-भिदौरी-गुलरिया पत्थर शाह-बनवीरपुर-तिकुनिया-बरसोला कलौ-खैरटिहा-गिरजापुरी बैराज (ग्रामीण मार्ग) के चैनज 0.000 से 33.000 तक (लम्बाई 33.000 किमी0)			
	मिट्टी का कार्य- पिट्स = (33.000 x 5 + 1) = 166 नं0			
	मार्ग के कुल पिट्स = 311 नं0			
	क्षेत्रफल 311 x 2.0 m x 2.0 = 1244.00 वर्ग मी0	1244.00	920.00	1144480.00
4	प्रशासनिक व्यय 61.60 x 1000			61600.00
	कुल योग:-			1206080.00

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर/खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर।

2- सहायक अभियन्ता ()/अवर अभियन्ता (प्रा0), निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, लखीमपुर-खीरी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,

लखीमपुर-खीरी।

1 N.O.C

पत्रांक 531

दिनांक 24.06.21

सेवा में,

जिओ डिजिटल फाईवर प्रा0लि0

द्वितीय तल प्लोर, सोलिटायर बिल्डिंग

फन रिपब्लिक माल के सामने गोमती नगर

लखनऊ। पिन नं0-226010

विषय:- लोक निर्माण विभाग के मार्ग के किनारे आर्टिकल फाइबर केबिल डालने हेतु अनापत्ति प्रदान करने व रोड साइड कटिंग के चार्ज अग्रिम जमा करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- जिओ डिजिटल फाईवर प्रा0लि0 का पत्र JDFPL/OFC/NLD/EAST/UP/Gulariya Talukey-Nighasan-II/02 दिनांक 08.03.2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा (1) सिसैया-धौरहरा -निघासन-पलिया-धनौराघाट-पूरनपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-101) के चैनज 37.000 से 45.800 तक (लम्बाई 8.800 किमी0) (2) बिलरौया-पनवारी मार्ग (राज्य मार्ग सं0-21) के चैनज 18.700 से 19.100 तक (लम्बाई 0.400 किमी0) - कुल लम्बाई 9.200। इस प्रकार मार्ग के किनारे कुल 9.200 किमी0 लम्बाई में एच0डी0डी0 विधि द्वारा आर्टिकल फाइबर केबिल डालने हेतु अनापत्ति चाही गयी है।

इस सम्बन्ध में प्रशासनिक व्यय एवं रोड साइड कटिंग सम्बन्धित प्रोफार्मा बिल निम्न विवरण के अनुसार आपको प्रेषित किया जा रहा है। कृपया बिल में दर्शायी गयी धनराशि रू0 1,76,640.00 (एक लाख छियत्तर हजार छः सौ चालीस रुपये मात्र) रोड साइड कटिंग हेतु बैंक गारन्टी एवं रू0 9,200.00 (नौ हजार दो सौ रुपये मात्र) प्रशासनिक व्यय हेतु डिमान्ड ड्राफ्ट अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, लखीमपुर-खीरी के नाम से इस कार्यालय को जमा कराने का कष्ट करें, ताकि रोड कटिंग की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही की जा सके। यह ध्यान रखे कि सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने से पूर्व खुदाई का कार्य कदापि न कराया जाये।

प्रोफार्मा बिल				
क्रम सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	दर रू0	लागत (रू0 में)
1	सिसैया-धौरहरा -निघासन-पलिया-धनौराघाट-पूरनपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-101) के चैनज 37.000 से 45.800 तक (लम्बाई 8.800 किमी0)			
	मिट्टी का कार्य- पिट्स = (8.800 x 5 + 1) = 45 न0			
2	बिलरौया-पनवारी मार्ग (राज्य मार्ग सं0-21) के चैनज 18.700 से 19.100 तक (लम्बाई 0.400 किमी0)			
	मिट्टी का कार्य- पिट्स = (0.400 x 5 + 1) = 3 न0			
	मार्ग के कुल पिट्स = 48 न0			
	क्षेत्रफल 48 x 2.0 m x 2.0 = 192.00 वर्ग मी0	192.00	920.00	176640.00
3	प्रशासनिक व्यय 9.20 x 1000			9200.00
	कुल योग:-			185840.00

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर/खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर।

2- सहायक अभियन्ता ()/अवर अभियन्ता (प्रा0), निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, लखीमपुर-खीरी।

दिनांक

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,

लखीमपुर-खीरी।

/ 11.0.0.C

पत्रांक 535

दिनांक 24.06.21

सेवा में,

जिओ डिजिटल फाईवर प्रा0लि0

द्वितीय तल प्लोर, सोलिटायर बिल्डिंग

फन रिपब्लिक माल के सामने गोमती नगर

लखनऊ। पिन नं0-226010

विषय:- लोक निर्माण विभाग के मार्ग के किनारे आर्टिकल फाईबर केबिल डालने हेतु अनापत्ति प्रदान करने व रोड साइड कटिंग के चार्ज अग्रिम जमा करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- जिओ डिजिटल फाईवर प्रा0लि0 का पत्र JDFPL/OFC/NLD/EAST/UP/Tatarpur-Nighasan-II/02 दिनांक 19.03.2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा (1) झण्डी-शारदानगर एफलेक्स (बन्धा) मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनज 0.000 से 8.000 तक (लम्बाई 8.000 किमी0) (2) बिलरौया-पनवारी मार्ग (राज्य मार्ग सं0-21) के चैनज 19.100 से 26.000 तक (लम्बाई 6.900 किमी0) कुल लम्बाई 14.900। इस प्रकार मार्ग के किनारे कुल 14.900 किमी0 लम्बाई में एच0डी0डी0 विधि द्वारा आर्टिकल फाईबर केबिल डालने हेतु अनापत्ति चाही गयी है।

इस सम्बन्ध में प्रशासनिक व्यय एवं रोड साइड कटिंग सम्बन्धित प्रोफार्मा बिल निम्न विवरण के अनुसार आपको प्रेषित किया जा रहा है। कृपया बिल में दर्शायी गयी धनराशि रू0 2,81,520.00 (दो लाख इक्कासी हजार पाँच सौ बीस रुपये मात्र) रोड साइड कटिंग हेतु बैंक गारन्टी एवं रू0 14,900.00 (चौदह हजार नौ सौ रुपये मात्र) प्रशासनिक व्यय हेतु डिमान्ड ड्राफ्ट अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, लखीमपुर-खीरी के नाम से इस कार्यालय को जमा कराने का कष्ट करें, ताकि रोड कटिंग की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही की जा सके। यह ध्यान रखे कि सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने से पूर्व खुदाई का कार्य कदापि न कराया जाये।

प्रोफार्मा बिल				
क्रम सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	दर रू0	लागत (रू0 में)
1	झण्डी-शारदानगर एफलेक्स (बन्धा) मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनज 0.000 से 8.000 तक (लम्बाई 8.000 किमी0)			
	मिट्टी का कार्य- पिट्स = (8.000 x 5 + 1) = 41 नं0			
2	बिलरौया-पनवारी मार्ग (राज्य मार्ग सं0-21) के चैनज 19.100 से 26.000 तक (लम्बाई 6.900 किमी0)			
	मिट्टी का कार्य- पिट्स = (6.900 x 5 + 1) = 36 नं0			
	मार्ग के कुल पिट्स = 77 नं0			
	क्षेत्रफल 77 x 2.0 m x 2.0 = 306.00 वर्ग मी0	306.00	920.00	281520.00
3	प्रशासनिक व्यय 14.90 x 1000			14900.00
	कुल योग:-			296420.00

पत्रांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर/खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर।

2- सहायक अभियन्ता ()/अवर अभियन्ता (प्रा0), निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, लखीमपुर-खीरी।

दिनांक

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी।